ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA

(A Government of India Undertaking)

ALIMCO Employees Benevolent Social Security Scheme

A. Short Title:

The Scheme may be called the **"ALIMCO Employees Benevolent Social Security Scheme".**

B. Objective:

The object of the Scheme is to provide financial grant as a social security measure to:-

(i) The spouse and / or other dependent nominated family members of deceased employees covered under the definition of 'Entitled Persons' in the event of death of an employee, while in service of the Corporation.

(ii) An employee who is discharged from the service of the Corporation on being declared as a case of 'Permanent Total Disablement' arising out of an accidental injury during the course of employment provided the statutory payments under the Employees Compensation Act, 1923 or any other law in force, for Permanent Total Disablement, has not been paid / claimed / due.

C. Definitions:

i) **'Scheme'** means **'ALIMCO Employees Benevolent Social Security Scheme'.**

ii) **'Corporation'** shall mean "Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India" and shall include all its units / offices located in different parts of the country and shall include any corporate body or legal entity who / which may, by purchase, amalgamation or otherwise take over the whole or substantially the whole of the business of the Corporation through a valid legal process in future.

iii) '**Employee'** shall mean any person (both executives and non-executives) including Functional Director and CMD in the regular scale of pay in whole time employment of the Corporation but does not include Company Trainees / Management Trainees and persons belonging to outside organizations working on deputation in ALIMCO or ALIMCO employees working in other organizations on deputation, Daily Paid /Contract workers/Security Guards and Apprentices / Trainees engaged under the Apprentices Act, 1961 or any other type of

Trainees engaged /personnel engaged through manpower agency permitted by the Corporation.

iv) **'Beneficiary'** shall mean the ex-employee himself who has been discharged by the Competent Authority due to being declared as a case of Permanent Total Disablement arising out of accidental injuries during the course of employment (provided, statutory payments under Employees Compensation Act, 1923 or any other law in force, has not been paid / claimed / due); and in death case the person (s) so nominated by the employee in the prescribed Nomination Form in the proportion mentioned therein to receive the benefit under the Scheme after his death provided such nominee is one of the 'Entitled Persons' under the provisions of the Scheme.

v) **'Entitled Persons'** shall mean legally wedded spouse of the employee, as per service record, whether dependent on him or not, his dependent children and dependent mother & father. Dependency of children and parents to be decided as per the criteria of income prescribed under the ALIMCO Medical Attendance & Treatment Rules, amended from time to time, as applicable on the date of death. The entitled persons will receive the benefit under the Scheme in the proportion specifically mentioned in the Nomination Form (Appendix-A) by the employee. In case any of the person declared as nominee by the employee was no more a dependent in the period immediately preceding the death, or any such nominated person is not covered by the definition of 'Entitled person' he will not be paid any grant under the Scheme and his share will be paid to the other entitled nominated persons on equally shared basis.

vi) **'Pay'** for the purpose of working out benefits, means 'Basic Pay' (including Stagnation Increment) only drawn by the employee on the date of death / permanent total disablement.

vii) **'Superannuation'** in relation to an employee, means the attainment by the employee of the age of superannuation as per notified Rules of the Corporation and as per the terms of employment applicable to him. In case of Functional Directors and CMD, it will mean the date till when their contract of employment is valid / in force.

viii) **'Permanent Total Disablement'** means disablement of permanent nature, as incapacitates an employee for all work which he was capable of performing, at the time of the accident arising out of and during the course of employment, resulting in such disablement, provided that the permanent total disablement shall be deemed to have resulted from every injury specified in Part I of Schedule-I of Employees' Compensation Act, 1923 or from any combination of injuries specified in Part II thereof, where the aggregate percentage loss of the earning capacity, as specified in the said Part II against those injuries, amounts to one hundred percent or more, as certified by the Authority prescribed under the said Act.

D. Applicability:

The Scheme will be applicable in cases of all regular employees (both executives & non executives) who die while in service or cease to be in service due to being declared as a case of Permanent Total Disablement by the Competent Authority. The Scheme will also be applicable to the Functional Directors / CMD on the Board of ALIMCO. However, it is not applicable to Company Trainees / Management Trainees and persons belonging to outside organizations working on deputation in ALIMCO or ALIMCO employees working in other organizations on deputation, Daily Paid Workers/Contract workers/Security Guards and Apprentices / Trainees engaged under the Apprentices Act, 1961 or any other type of Trainees engaged /personnel engaged through manpower agency, permitted by the Corporation.

E. Effective Date:

The Scheme shall come into force with effect from 01st Jan, 2007 and will be applicable to the eligible cases occurring on or after the said date. The cases of deceased employees / permanent total disabled employees, prior to implementation of this Scheme, shall not be covered.

F. Benefits under the Scheme:

On separation from the service of the Corporation and meeting the eligibility conditions defined in the Scheme, the 'ex-employee' or the 'Beneficiary' in case of deceased employee, as the case may be, shall be eligible for a lump sum financial grant equal to his basic pay (restricted to Rs.15,000/- per month) for 50% of the left over months of service for superannuation, subject to a maximum of 60 months of actual or restricted basic pay, whichever is less, to be released to the Beneficiaries in a phased manner. The minimum and maximum amount payable to the Beneficiary under the Scheme will be further restricted as under irrespective of the left over service:

Pay Scale of the concerned employee at the time of cessation of service	Minimum amount of Grant Rs.	Maximum amount of Grant Rs.
(1)	(2)	(3)
Rs.6720-14950 to Rs.11100-24700 (WG-A to WG- H)	50,000/-	2.00 lakhs
Rs.12600-32500 to Rs.32900-58000 (E-0 to E-5)	75,000/-	2.50 lakhs
Rs.36600-62000 and above (E-6 & above)	1,00,000/-	3.00 lakhs

G. Release of Payments:

The payment under the Scheme shall be released in a phased manner as indicated below:

First year (on occurrence of any of the specified events)	:	50% of the admissible amount (if the total admissible grant is less than the minimum amount of grant as in column 2 above, the total amount will be paid in first installment itself)

Second Year	:	25 % of the admissible amount
Third Year	:	25 % of the admissible amount

H. Nomination of Beneficiaries:

(i) Upon notification of the Scheme, each eligible employee will be required to fill up a Nomination Form (Appendix-A) in the prescribed format (in duplicate) and submit the same to the Sr. Mgr. (P&A) ALIMCO Kanpur. One copy of the Form will be returned to him duly stamped and the other copy will be kept in his service record. In the event of any of the nominees predeceasing the employee, the employee will be required to make a fresh nomination in the same manner.

The employee can change his earlier nomination by submitting the nomination form in duplicate along with a written request for the same to Pers. & Admn. Department which will be processed in the same manner.

(ii) In the event, no nomination under the Scheme has been submitted by the employee, while in service, or all the nominees having pre-deceased the employee and the employee having not made any fresh nomination, the benefit under the Scheme, shall be paid to the surviving spouse and the dependent parents in a ratio of 60 : 40, subject to specific exclusions, if any, under the Scheme. However, in case only spouse or only dependent parent are surviving, at the time of death then the whole grant will be payable to such surviving beneficiary.

(iii) In case of the employee separated on account of Permanent Total Disablement, he / she shall himself draw the amount under the Scheme notwithstanding any nomination made by him. However, in the event of his death prior to his notional date of superannuation, his nominee, if any, as per this scheme, shall receive the remaining benefit under the Scheme. In case no nomination has been made, then the case will be regulated in accordance with sub-para (ii) above.

I. Conditions when no grant under the Scheme will be admissible:

The benefit / Grant under the Scheme shall not be applicable in the following cases / circumstances:

(i) If the deceased employee had not married during his life, as per office record declared by him while in service, and none of his surviving parents was dependent upon him / her, in terms of the provisions of this scheme, at the time of death.

(ii) If spouse of the employee had pre-deceased him / her and none of his / her children or parent were dependent upon him / her at the time of death in terms of Corporation’s Medical Attendance & Treatment Rules.

(iii) To any such person who does not fall within the category of “Entitled Person” even if he was nominated by the employee. In other words, a person other than spouse, dependent children or parent of the employee will not be eligible to receive the grant under this Scheme.

(iv) Grant / benefit under this Scheme will not be admissible in case of death due to suicide committed by the employee; or in case of death due to any major natural calamity engulfing the major area / population at the place of his normal duty / residence.

(v) To the nominated beneficiary (including spouse) if he / she is in the regular employment of a Govt. / PSU / Local Authority / Autonomous Bodies /Bank / Semi-Govt. Organization etc. Further, in case any of the nominee (except spouse) is working in the private sector other than Govt. / PSU / Local Authority / Autonomous Bodies / Bank / Semi-Govt. Organization etc. or doing own business / avocation, he / she shall be required to submit an Affidavit along with income tax returns for three years immediately preceding the date of death of ALIMCO employee concerned and in case the average gross income of such nominated person during the past 3 financial years is equal to or more than the Pay + DA + taxable perks of the deceased employee at the time of death, such nominee shall not be eligible for financial grant under the Scheme.

(vi) To the nominated beneficiary against whom an FIR has been lodged for alleged murder / suicide abetment of the concerned deceased employee.

(vii) Subsequent installments of the grant, after the first installment, shall not be paid / released if any outstanding loans / advances or other dues, if any, against the employee have not been settled or if the Corporation's quarter has not been vacated by the family after the expiry of approved retention period (or rent at market rate not paid for the period of unauthorized occupation).

(viii) The payment of grant under the scheme to the entitled persons in cases of employees who became / declared untraceable, shall be dealt with in the manner prescribed in Govt. of India Rules for payment of final dues in such cases, with specific approval of CMD.

J. <u>Miscellaneous Provisions:</u>

(i) The administration / operation of the Scheme shall be done by the (P&A) Department of HQ Kanpur in consultation with Finance Department. The Competent Authority for approval of the grant under the Scheme shall be the Chairman-cum-Managing Director or any other officer authorized by him in this regard.

(ii) In-charge of respective AAPC, RMC, AOC or any other Centre, where the deceased employee was posted shall be responsible for verifying the details of the claim and related documents for its admissibility or otherwise. In-charge of respective AAPC, RMC, AOC or any other Centre shall satisfy himself about admissibility of the claim, and forward his/her recommendation to HOD of (P&A) Dept. before finally recommending the claim for approval of the Competent Authority i.e. CMD.

(iii) The Scheme will stand suspended from 1st April of the subsequent financial year if profit after tax of the Corporation in the previous financial year dips **below Rs.10 crores.** However, the scheme would be restarted by CMD when the Corporation has recouped the dip in profit to the original level after wiping of all previous losses, and the pending cases under the scheme will be settled in a phased manner without the liability of any extra payment on account of interest etc. for the delayed period.

(iv) The Management reserves the right to amend, or withdraw the Scheme at any time without notice. The Management will also have the right to curtail or expand any of the benefits under the Scheme, at its sole discretion at any time.

(v) The grant / benefit under the Scheme will not be subject to any kind of deduction / recoveries for any advances / loans / losses etc. in respect of the deceased employee except for any excess payment made under the Scheme earlier.

(vi) A representation can be made by any aggrieved family member of the deceased employee within a maximum period of six months of death of an employee. The same shall be placed before the Chairman-cum-Managing Director of the Corporation whose decision shall be final and binding. The time limit of six months may be relaxed by CMD in case of exceptional circumstances.

(vii) Clarifications to these rules as and when required, shall be issued by HOD of (P&A) Department at HQ Kanpur.

(viii) Where any doubt arises as to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Chairman-cum-Managing Director whose decision shall be final and binding.

(ix) The benefits under the scheme shall be non-negotiable with individuals / Unions / Associations. The existence of this Scheme shall not confer any legal right, whatsoever, upon any employee or his / her family member or any other person on their behalf for claiming benefits under this benevolent Scheme.

****

Appendix A

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA

(A Government of India Undertaking)

G.T. ROAD, KANPUR

Through Concerned HOD/Unit Head

Nomination of Beneficiary under ALIMCO Employees Benevolent Social Security Scheme

(To be filled in duplicate)

Name of the Unit/Office ____

Name of the employee ____

Designation ____

Department ____

Pay Scale Rs. ____

I______________________________ Son/Wife/Daughter of ____________________________ hereby nominated the person(s) mentioned below as 'Beneficiary' to receive the amount payable under the ALIMCO Employees Benevolent Social Security Scheme in the event of my death:-

Sl. No.	Name & Address of the Beneficiary	Relationship with the employee	Age and DOB of Beneficiary	Share to be paid to each Beneficiary	If the Beneficiary is minor, name, relationship and address of the guardian.

____

Signature of the Employee

Date____________

Place_____________

One copy of this form will be returned to the employee duly stamped by the concerned dealing officer in (P&A) Department and the other copy will be kept in employee's service record.

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

एलिम्को कर्मचारी हितकारी सामाजिक सुरक्षा योजना

क. लघु शीर्षक:

योजना को "एलिम्को कर्मचारी हितकारी सामाजिक सुरक्षा योजना" भी कहा जाएगा।

ख. उद्देश्य:

योजना का उद्देश्य एक सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में निम्नलिखित को वित्तीय अनुदान प्रदान करना है: -

(i) निगम की सेवा में रहते हुए किसी कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में, 'पात्र' की परिभाषा के अंतर्गत पति/पत्नी और/या मृतक कर्मचारी के परिवार के अन्य आश्रित नामित सदस्य।

(ii) अगर कार्य के दौरान किसी दुर्घटना में आहत होने से उत्पन्न 'स्थायी पूर्ण विकलांग ' घोषित किये जाने पर किसी कर्मचारी को निगम की सेवा से अवकाश दे दिया जाता है, और कर्मचारी को क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 या किसी अन्य लागू कानून के अंतर्गत स्थायी पूर्ण विकलांगता के लिए वैधानिक भुगतान प्रदान नहीं किया गया/दावा किया /बकाया हो

ग. परिभाषाएं:

i) 'योजना' का अर्थ है 'एलिम्को कर्मचारी हितकारी सामाजिक सुरक्षा योजना'।

ii) **'निगम'** का अर्थ 'भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम" होगा और देश के विभिन्न भागों में स्थित इसकी सभी इकाइयां/कार्यालय इसमें शामिल होंगे तथा कोई भी कॉरपोरेट निकाय या कानूनी इकाई जो/जिन्हें, खरीदने, समामेलन द्वारा या अन्यथा एक वैध कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से भविष्य में निगम के काफी हद तक या पूरे कारोबार के पूरे कारोबार का अधिग्रहण कर लेगा।

iii) **'कर्मचारी'** का आशय कार्यकारी निदेशक और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित नियमित वेतनमान पर निगम में पूर्णकालिक काम करने वाले किसी भी व्यक्ति (अधिकारियों और गैर अधिकारियों दोनों) से है, लेकिन इसमें कंपनी प्रशिक्षु/प्रबंधन प्रशिक्षु और प्रतिनियुक्ति पर एलिम्को में काम कर रहे बाहरी संगठनों के व्यक्ति या प्रतिनियुक्ति पर बाहर के संगठनों में काम रहे एलिम्को के कर्मचारी, दैनिक मजदूरी/ठेका श्रमिक और प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के अंतर्गत नियुक्त प्रशिक्षु/प्रशिक्षणार्थी या किसी भी अन्य प्रकार से नियुक्त प्रशिक्षुओं/निगम द्वारा अनुमति प्राप्त जनशक्ति एजेंसी के माध्यम से नियुक्त व्यक्ति शामिल नहीं हैं।

iv) **'हितकारी'** का तात्पर्य ऐसा पूर्व कर्मचारी, जिसे नियोजन के दौरान किसी दुर्घटना में आहत होने से उत्पन्न 'स्थायी रूप से पूर्ण विकलांग' घोषित किये जाने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा सेवा-मुक्त कर दिया जाता है (बशर्ते कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, या लागू किसी अन्य कानून के अंतर्गत सांविधिक भुगतान नहीं किया गया हो / दावा नहीं किया गया हो, बकाया नहीं हो) ; और उसकी मृत्यु की स्थिति में ऐसे व्यक्ति (यों) से है जिसे कर्मचारी द्वारा निर्धारित नामांकन प्रपत्र में उल्लिखि त कि ए गए अनुपात में योजना के अंतर्गत हितलाभ के प्रावधानों के अंतर्गत 'पात्र व्यक्तियों' में से एक हो।

v) **'पात्र व्यक्तियों'** का अर्थ सेवा रिकार्ड के अनुसार, कानूनी तौर पर, कर्मचारी के विवाहित पति या पत्नी, उसके बच्चे चाहे आश्रित हैं या नहीं और आश्रित माता-पिता हैं। बच्चों और माता-पिता की आश्रिता का, मृत्यु की तिथि पर लागू, समय-समय पर संशोधित एलिम्को चिकित्सा उपस्थिति नियम के अंतर्गत निर्धारित आय के मापदंड के अनुसार निर्णय लिया जा एगा। इस योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को कर्मचारी द्वारा नामांकन फॉर्म में विशेष रूप से उल्लिखित कि ए गए अनुपात में हितलाभ प्राप्त होगा। कर्मचारी द्वारा नामि त व्यक्ति के उसकी मृत्यु की अवधि के ठीक बाद आश्रित न रहने या 'नामित व्यक्ति' की परिभाषा में शामिल न होने पर, उसे घोषित योजना के अंतर्गत किसी भी अनुदान का भुगतान नहीं किया जाएगा और उसके हिस्से का 'नामित व्यक्ति' की परिभाषा में शामिल अन्य हकदार नामित व्यक्तियों को समान रूप से साझा आधार पर भुगतान किया जाएगा।

vi) हितलाभ की गणना के लिए **'वेतन'** का अर्थ केवल कर्मचारी द्वारा मृत्यु/स्थायी पूर्ण विकलांगता होने की तिथि पर प्राप्त किए जाने वाले 'मूल वेतन' (गतिरोध वेत -वृद्धि सहित) से है।

vii) कर्मचारी के संबंध में **'सेवा-निवृत्ति'** का आशय, निगम के अधिसूचित नियमों के अनुसार और उसके लिए लागू रोजगार की शर्तों के अनुसार कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्ति की उम्र की अधिप्राप्ति से है। कार्यकारी निदेशक और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के मामले में , यह उनके कार्यकाल के अनुबंध के प्रभावी/मान्य रहने तक की तिथि होगी।

viii) **'स्थायी पूर्ण विकलांगता'** का आशय नियोजन के दौरान हुई दुर्घटना के कारण उत्पन्न होने वाली ऐसी स्थायी विकलांगता से है, जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारी ऐसे सभी कार्यों को करने में अक्षम हो जाए , जिन्हें निष्पादित करने में वह पहले सक्षम था , बशर्ते कि वह क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 की अनुसूची- I के भाग- I में उल्लिखित चोटों में शामिल हो, जबकि अर्जन क्षमता की कमी का कुल प्रतिशत तत्संबंधी भाग- II में विहित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित उक्त अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट चोटों के सौ प्रतिशत या उससे अधिक के बराबर है।

घ. <u>प्रयोज्यता:</u>

योजना सभी नियमित कर्मचारियों के मामलों में (अधिकारियों और गैर अधिकारियों दोनों) के लिए लागू होगी, जिनकी सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है या जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थायी पूर्ण विकलांग घोषित किए जाने के कारण सेवा में न रहें। योजना एलिम्को के बोर्ड में शामिल कार्यकारी निदेशक/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के लिए भी लागू होगी। हालांकि, यह डीपीडब्ल्यू और ऐसे लोगों पर लागू नहीं होगी जो ठेकेदारों / जनशक्ति एजेंसियों के माध्यम से अनुबंध पर काम कर रहे हों /रखे गए हों या आकस्मिक आधार पर काम कर रहे हों या एलिम्को के ऐसे कर्मचारियों पर लागू नहीं होती जो प्रतिनियुक्ति के आधार पर या एलिम्को में किसी को रखने के बाद ग्रहणाधिकार पर अन्य संगठनों में काम कर रहे हैं । यह अन्य संगठनों के ऐसे कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगी जो प्रतिनियुक्ति के आधार पर एलिम्को के साथ काम कर रहे हैं ।

ङ. <u>प्रभावी तिथि:</u>

यह योजना 01 अप्रैल, 2015 से अथवा निदेश मण्डल द्वारा निर्धारित तिथि से **प्रभावी होगी और इसे** उक्त तिथि से या उसके बाद होने वाले पात्र मामलों के लिए लागू किया जाएगा। इसके कार्यान्वयन के पहले के मृतक कर्मचारियों/स्थायी पूर्ण विकलांग कर्मचारियों के मामलों को, इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा।

च. <u>योजना के अंतर्गत हितलाभ:</u>

निगम की सेवा से अलग होने और योजना में परिभाषित पात्रता शर्तों को पूरा करने पर, जैसा भी मामला हो, 'पूर्व कर्मचारी' या मृतक कर्मचारी के मामले में 'लाभार्थी', सेवा- निवृत्ति के बाकी बचे महीनों के 50% के लिए अपने मूल वेतन के बराबर , (प्रति माह - 15000 /- तक प्रतिबंधित) वित्तीय अनुदान की एक मुश्त राशि के लिए पात्र होंगे, जो अधिकतम 60 महीने या मूल वेतन के लिए प्रतिबंधित, जो भी कम हो, के लिए, लाभार्थियों को चरणबद्ध तरीके से जारी की जाएगी। योजना के अंतर्गत लाभार्थी को देय न्यूनतम और अधिकतम राशि को सेवा की बाकी अवधि पर ध्यान दिए बिना निम्नलिखित रूप में प्रतिबंधित किया जाएगा:

सेवा की समाप्ति के समय संबंधित कर्मचारी का वेतन मान	अनुदान की न्यूनतम राशि रुपये	अनुदान की अधिकतम राशि, रुपये
(1)	(2)	(3)
रु.6720-14950 से रु.11100-24700 (डब्ल्यूजी-ए से डब्ल्यूजी - एच)	50,000/-	2.00 लाख
रु.12600-32500 से रु..32900-58000 (ई-0 से ई -5)	75,000/-	2.50 लाख
रु.36600-62000 एवं अधिक (ई-6 एवं अधिक)	1,00,000/-	3.00 लाख

छ. भुगतान का जारीकरण:

इस योजना के अंतर्गत भुगतान नीचे दिए गए संकेत के रूप में चरणबद्ध तरीके से जारी किया जाएगा:

प्रथम वर्ष (निर्दिष्ट घटनाओं में से किसी भी घटना के होने पर) : स्वीकार्य राशि का 40%
(यदि कुल स्वीकार्य अनुदान, अनुदान की न्यूनतम राशि से कम है तो ऊपर दिए गए कॉलम 2 के अनुसार, पहली किस्त में ही कुल राशि का भुगतान किया जाएगा)

द्वितीय वर्ष : स्वीकार्य राशि का 20 %

तृतीय वर्ष : स्वीकार्य राशि का 20 %

चतुर्थ वर्ष : स्वीकार्य राशि का 20 %

ज. लाभार्थियों का नामांकन:

(i) योजना की अधिसूचना पर , प्रत्येक पात्र कर्मचारी को निर्धारित प्रारूप में एक नामांकन प्रपत्र (दो प्रतियों में) भरने और संबंधित कार्यालय के मानव संसाधन विभाग को प्रस्तुत करना होगा। प्रपत्र की एक विधिवत मुहर लगी प्रति उसे वापस कर दी जाएगी और अन्य प्रतिलिपि को उसके सेवा रिकॉर्ड में रखा जाएगा। कर्मचारी से पूर्व किसी नामित व्यक्ति की मृत्यु होने पर, कर्मचारी को इसी रूप से दुबारा नामांकन करना होगा।

कर्मचारी मानव संसाधन विभाग से लिखित अनुरोध के साथ दो प्रतियों में नामांकन प्रपत्र जमा करके अपने पहले के नामांकन को बदल सकते हैं।

(ii) सेवा के दौरान, कर्मचारी द्वारा इस योजना के अंतर्गत कोई नामांकन न किया गया होने, या सभी नामितों के कर्मचारी से पूर्व मृत्यु हो जाने और कर्मचारी द्वारा कोई नया नामांकन प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति में, विशिष्ट बहिष्करण के अधीन, यदि कोई हो, तो योजना के अंतर्गत हितलाभ का, 60:40 के अनुपात में जीवित पति/ पत्नी और आश्रित माता-पिता को भुगतान किया जाएगा। तथापि, मृत्यु के समय केवल पति या पत्नी अथवा केवल आश्रित माता-पिता के जीवित होने पर ऐसे मामलों में पूरा अनुदान ऐसे जीवित लाभार्थी को देय होगा।

(iii) स्थायी पूर्ण विकलांगता के कारण पृथक होने वाले कर्मचारी के मामले में, उसके द्वारा किए गए किसी भी नामांकन के होते हुए भी वही इस योजना के अंतर्गत राशि प्राप्त करेगा। तथापि, अगर उसकी मृत्यु सेवानिवृत्ति की कल्पित तारीख से पूर्व हो जाती है तो, उसके द्वारा नामित व्यक्ति, यदि कोई हो, इस योजना के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत शेष लाभ प्राप्त करेगा। जिन मामलों में कोई नामांकन नहीं किया गया हो, उन्हें ऊपर उप-अनुच्छेद (ख) के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

झ. <u>स्थितियां जिनमें योजना के अंतर्गत कोई अनुदान देय नहीं होगा:</u>

निम्नलिखित मामलों/परिस्थितियों में योजना के अंतर्गत हितलाभ/अनुदान लागू नहीं होगा:

(i) यदि मृतक कर्मचारी की कार्यालय की सेवा में रहने के दौरान, उनके द्वारा घोषित रिकॉर्ड के अनुसार जीवन में शादी नहीं हुई हो, और इस योजना के प्रावधानों के संदर्भ में, उसकी मृत्यु के समय, जीवित माता-पिता में से कोई भी उस पर आश्रित न हो।

(ii) यदि कर्मचारी के पति/ पत्नी की उससे पूर्व मृत्यु हो चुकी हो और निगम के चिकित्सा उपस्थिति नियम के मामले में उसकी मृत्यु के समय उसके बच्चों या माता-पिता में से कोई भी उस पर निर्भर न रहा हो।

(iii) ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो "पात्र व्यक्ति' की श्रेणी में नहीं आता हो, भले ही उसे कर्मचारी द्वारा नामित किया गया था। दूसरे शब्दों में, कर्मचारी के पति या पत्नी, आश्रित बच्चों या माता-पिता के अलावा कोई अन्य व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा।

(iv) कर्मचारी द्वारा की गई आत्महत्या के कारण हुई मृत्यु के मामले में ; या उसकी सामान्य ड्यूटी/ निवास स्थान के अधिकतर क्षेत्र/ जनसंख्या पर आई किसी भी प्रमुख प्राकृतिक आपदा के लिए इस योजना के अंतर्गत अनुदान/हितलाभ स्वीकार्य नहीं होगा ।

(v) नामित लाभार्थी (पति या पत्नी सहित) को यदि वह किसी सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम /स्थानीय प्राधिकरण/स्वायत्त निकायों/बैंक/अर्ध-सरकारी संगठन आदि में नियमित रूप से कार्यरत हो। इसके अलावा, यदि नामित व्यक्ति (पति/पत्नी को छोड़कर) सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/स्थानीय प्राधिकरण/स्वायत्त निकायों/बैंक/अर्ध-सरकारी संगठन इत्यादि के अलावा निजी क्षेत्र में काम कर रहा/रही है या खुद का व्यवसाय/धन्धा कर रहा/रही है, तो उसके लिए एलिम्को कर्मचारी की मृत्यु की तारीख के फौरन बाद पिछले तीन साल की आयकर विवरणी के साथ एक शपथ -पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा और यदि नामित व्यक्ति की आय पिछले तीन वित्तीय वर्षों में मृत्यु के समय मृतक कर्मचारी के वेतन + मंहगाई भत्ता + कर योग्य भत्तों के बराबर या उससे अधिक है , तो ऐसे नामित व्यक्ति योजना के अंतर्गत वित्तीय अनुदान के लिए पात्र नहीं होंगे।

(vi) ऐसे नामजद लाभार्थी को जिनके खिलाफ मृतक कर्मचारी की कथित हत्या/आत्महत्या के लिए उकसाने के रूप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

(vii) अगर अनुदान की पहली किस्त के बाद, कर्मचारी के खिलाफ बकाया ऋण/अग्रिम, अन्य देय राशि, यदि कोई हो, का समायोजन नहीं किया गया हो, या अनुमोदित अवधारण अवधि की समाप्ति के बाद उसके परिवार द्वारा निगम के आवास को खाली नहीं किया गया हो (या अनधिकृत कब्जे की अवधि के लिए बाजार दर पर किराए का भुगतान नहीं किया गया हो), तो बाद की किश्तों को जारी/ भुगतान नहीं किया जाएगा।

(viii) कर्मचारियों के न पता लगाए जाने योग्य होने /घोषित किए जाने के मामलों में, हकदार व्यक्तियों को इस योजना के अंतर्गत अनुदान के भुगतान से संबंध में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के विशिष्ट अनुमोदन के साथ , अंतिम बकाया राशि के भुगतान के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से कार्रवाई की जाएगी।

<u>ञ. विविध प्रावधान</u>:

(i) वित्त विभाग के परामर्श से कॉर्पोरेट मानव संसाधन विभाग द्वारा योजना को प्रशासित/संचालित किया जाएगा। अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक या इस संबंध में उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी योजना के अंतर्गत अनुदान के अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे।

(ii) कॉरपोरेट कार्यालय के मामले में जहां मृतक कर्मचारी तैनात रहा हो , वहां के क्षेत्रीय प्रबंधक/अपर महाप्रबंधक/प्रबंधक (मानव संसाधन), दावे के विवरण और संबंधित दस्तावेजों की अपनी स्वीकार्यता के लिए या अन्यथा की पुष्टि करने के लिए उत्तरदायी होंगे। महाप्रबंधक (मानव संसाधन) (कॉर्पोरेट मानव संसाधन विभाग के प्रमुख) अंति म रूप से सक्षम प्राधिकारी अर्थात् अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के अनुमोदन के लिए दावे की सिफारिश करने से पहले दावे की स्वीकार्यता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करेगा।

(iii) पिछले वित्तीय वर्ष में निगम के कर के बाद लाभ में **10 करोड़ रुपये से नीचे** की गिरावट आने पर योजना अगले वित्त वर्ष की 1 अप्रैल से निलंबित हो जाएगी। तथापि निगम द्वारा पिछली सभी हानियों की भरपाई करने और गिरावट से मूल स्तर पर लाभ के संभलने के बाद, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा इस योजना को पुनः आरंभ किया जाएगा और इस योजना के अंतर्गत लंबित मामलों की देनदारी का, विलंबित अवधि के लिए ब्याज आदि के किसी अतिरिक्त भुगतान के बिना चरणबद्ध तरीके से निपटारा किया जाएगा।

(iv) प्रबंधन बिना कोई सूचना दिए, किसी भी समय इस योजना में संशोधन करने, या इसे वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है। प्रबंधन को पूरी तरह से अपने विवेकाधिकार पर किसी भी समय, योजना के अंतर्गत प्राप्त लाभों में कटौती या कोई भी विस्तार करने का अधिकार होगा।

(v) योजना के अंतर्गत अनुदान/ हितलाभ को मृतक कर्मचारी के संबंध में इस योजना के अंतर्गत पहले किए गए किसी अतिरिक्त भुगतान को छोड़कर किसी भी अग्रिम/ ऋण/घाटे/वसूलियों आदि के लिए किसी भी तरह की कटौती के अधीन नहीं किया जाएगा।

(vi) किसी कर्मचारी की मृत्यु से अधिकतम छह महीने की अवधि के भीतर मृतक कर्मचारी के परिवार के किसी भी पीड़ित सदस्य द्वारा प्रत्वेदन दिया जा सकता है। उसे निगम के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के समक्ष रखा जाएगा , जिसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। असाधारण परिस्थितियों में अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक द्वारा छह महीने की समय सीमा में छूट दी जा सकती है।

(vii) इन नियमों से संबंधित यथावांछित स्पष्टीकरण कॉरपोरेट कार्यालय के दफ्तर में मानव संसाधन विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे।

(viii) इन नियमों की व्याख्या के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न होने पर इसे अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को भेजा जाएगा, जिनका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा ।

(ix) इस योजना के अंतर्गत प्राप्त हितलाभ व्यक्तियों/यूनियनों/संघों के साथ गैर -परक्राम्य होंगे। इस योजना का अस्तित्व किसी भी कर्मचारी या उसके (पुरुष/महिला) परिवार के किसी सदस्य या उनकी ओर से इस हितकारी योजना के अंतर्गत हितलाभ का दावा करने वाले किसी भी अन्य व्यक्ति को, किसी भी प्रकार का कानूनी अधिकार, चाहे जो भी हो, नहीं देता।

****

<u>अनुलग्नक क</u>

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम,

(भारत सरकार का उपक्रम)

जी.टी.रोड, कानपुर

<u>एलिम्को कर्मचारी परोपकार सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभार्थी का नामांकन</u>

(दो प्रतियों में भरा जाएगा)

कार्यालय का नाम ____

कर्मचारी का नाम ____

पदनाम ____

विभाग ____

वेतनमान रु. ____

मैं________________________________ पुत्र/पत्नी/पुत्री ________________________________ एतदद्वारा अपनी मृत्यु की स्थिति में निम्नलिखित व्यक्ति (ओं) को एल्मिको कर्मचारी हितकारी सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत देय राशि प्राप्त करने के लिए 'लाभार्थी' के रूप में नामित करता हूँ: -

क्रम सं,.	लाभार्थी का नाम और पता	कर्मचारी के साथ संबंध	लाभार्थी की आयु और जन्म तिथि	प्रत्येक लाभार्थी को भुगतान किया जाने वाला हिस्सा	यदि लाभार्थी नाबालिग है तो उसके अभिभावक का, नाम, संबंध और

					पता

____

कर्मचारी के हस्ताक्षर

तारीख_____________

स्थान______________

संबंधित विभाग के जरिए

इस प्रपत्र की एक प्रति मानव संसाधन विभाग में संबंधित अधिकारी द्वारा विधिवत मुहर लगाकर कर्मचारी को लौटा दी जाएगी और दूसरी प्रति उसके सेवा रिकॉर्ड में रखी जाएगी।

नोट– उक्त योजना के हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के अनुवाद में अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रारूप को मान्य समझा जाएगा।